

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

शुद्धि-पत्र

संख्या-2/आ0-70-26/2014 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

विभागीय अधिसूचना सं0-2275 दिनांक 16.03.2017 में श्री अरुण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) को क्रमांक 1 एवं 2 में दण्ड अधिरोपित किया गया है। उक्त अधिसूचना के पृ0-2 की कंडिका 2 में "निलंबन अवधि दिनांक 07.08.2014 से 31.01.2017 के लिए इन्हें जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा" के साथ आरोपी पदाधिकारी इस विन्दु पर अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित कर सकते हैं, भी पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना के क्रमांक-1 एवं अन्य में अंकित सभी प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगे।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0-2/आ0-70-26/2014 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0-2/आ0-70-26/2014 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना वित्त (वै0दा0नि0को0), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0-2/आ0-70-26/2014 गृ0आ0

2674

/पटना, दिनांक

29.03.17

प्रतिलिपि:-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/सभी जिलाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/श्री अरुण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा मोहन प्रसाद श्रीवास्तव, मो0-कन्हौली विशुनदत्त, राजपुर टोला, पो0-रामकृष्ण आश्रम, बेला मुजफ्फरपुर/आई0टी0 प्रबंधक, गृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि इस शुद्धि-पत्र की एक प्रति संबंधित श्री अरुण कुमार सिन्हा, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बेगूसराय सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (सेवानिवृत्त) को अपने स्तर से तामिला करा कर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

28/03/17

सरकार के उप सचिव।